



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में लूट करने की घटना कारित करने के आरोपी अनुज उर्फ गप्पी को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 06 वर्ष 10 माह 24 दिन के कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्त अनुज उर्फ गप्पी पुत्र योगेश निवासी ग्राम ठिकौली चांदीनगर जनपद बागपत के द्वारा लूट की दो घटनाएं कारित की गयी थी, जिनके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 398/2019 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0 602/2019 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 18.08.2026 को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अनुज उर्फ गप्पी को दोषी पाते हुए 06 वर्ष 10 माह 24 दिन के कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 19.08.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 252/26 धारा 305ए BNS में वांछित 01 अभियुक्त निशान को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर चोरी की हुई एक जंजीर(चैन) पीली धातु व एक तगडी सफेद धातु बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2026 को थाना बिनौली पर वादी श्री राजकुमार पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम गढीदुल्ला थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त वादी के पुत्र निशान पुत्र राजकुमार निवासी गढीदुल्ला के द्वारा वादी के घर में अलमारी में



से एक सोने की चैन व एक मंगलसूत्र चांदी का एक तगडी चाँदी की चुरा ली हैं । इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 252/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 252/26 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद 01 अभियुक्त निशान पुत्र राजकुमार को गिरफ्तार किया गया हैं, जिसकी निशांदेही पर मुकदमे से संबंधित चोरी की हुई एक जंजीर(चैन) पीली धातु व एक तगडी सफेद धातु बरामद हुई हैं ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली जनपद बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

निशान पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम गढीदुल्ला थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- एक जंजीर(चैन) पीली धातु ।
- एक तगडी सफेद धातु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री महेन्द्र शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत
2. उ0नि0 श्री पुलकित सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
3. रि0आरक्षी 263 यतेन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



थाना खेकडा

दिनांक 19.08.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 286/26 धारा 96,115(2),352 बीएनएस व 9M/10 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 286/26 धारा 96,115(2),352 बीएनएस व 9M/10 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.रवि पुत्र बलवीर निवासी बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 40 वर्ष
हाल पता जय सिंह का मकान भूमिया के पास पट्टी अहीरान करबा व थाना खेकडा
जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना खेकडा जिला बागपत
2. है0का0 752 रवीन्द्र कुमार थाना खेकडा जिला बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 19.08.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 531/26 धारा 75 बीएनएस व
9M/10 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 531/26 धारा 75 बीएनएस व 9M/10 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र रामनिवास को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम काठा

थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी /कर्मचारी का नाम

- 1- उ०नि० श्याम सिंह थाना कोतवाली जनपद बागपत ।
- 2- का० 307 पवन कुमार थाना कोतवाली जनपद बागपत ।
- 3-का० 429 प्रदीप भाटी थाना कोतवाली जनपद बागपत ।

